

निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 45/2016 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट.

भूरा पिता नारायण जाति लुहार निवासी विनायका तह. बड़ीसादड़ी

-वादी

बनाम

- 1- भीमनाथ पिता शंकरनाथ जाति नाथ निवासी विनायका तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भंवरनाथ पिता वावरनाथ जाति नाथ निवासी विनायका तह. बड़ीसादड़ी
- 3- कैलाशनाथ पिता वावरनाथ जाति नाथ निवासी विनायका तह. बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमति सुगना पुत्री वावरनाथ जाति नाथ निवासी विनायका तह. बड़ीसादड़ी
- 5- मु. सोसरवाई पत्नि वावरनाथ जाति नाथ निवासी विनायका तह. बड़ीसादड़ी
- 6- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बंटवा हो चुका है। माफिक फर्द बंटवाडा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा विनायका की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

आ.न.	रकवा	लगान
679/1	0.75	24.75
1	0.75	24.75

आ.न.	रकवा	लगान
679 मी.	0.37	12.21
1	0.37	12.21


आ.न.	रकवा	लगान
679/2	0.38	12.54
1	0.38	12.54

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर



Web Copy - Not Official


जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी